Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 5, Sept-Oct – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 06/09/2020 **Accepted on : 26/09/2020** **Publication Date: 30/09/2020**

कल्हण कालीन कश्मीर की शासन व्यवस्था

पूनम कुमारी
शोध छात्रा, इतिहास विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)
Email: - poonamkudk@gmail.com

सारांश: सैद्धांतिक ढांचे में रखकर किसी क्षेत्र विशेष में किसी काल विशेष में राज्य की संरचना का अध्ययन करने के लिए सिद्धांत तो अनेक गढ़े गए हैं मगर आज के वैज्ञानिक युग में शोध के जिन नए-नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें आधार और संरचना का नियम सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है इस सिद्धांत की समीचीनता के संबंध में डी. डी. कोसांबी ने लिखा है: इतिहास का मतलब कुछ बड़ी-बड़ी लड़ाईयों और कुछ अहंकारी नामों का उल्लेख नहीं है | इतिहास का मतलब है कि किसी राजा के राज्य काल में किसान हल का उपयोग करते थे या नहीं-यानी उत्पादन की शक्तियों में आए बदलाव के फलस्वरूप उत्पादन के संबंधों में आने वाले बदलावों की व्याख्या करना ही इतिहास है| इस सैद्धांतिक आधार पर उत्पादन के संबंध ही वह मौलिक कारण होता है जो किसी समाज का आधार होता है और उस समाज की बाहरी संरचनाएं जिनमें परिवार से लेकर राज्य सत्ता तक शादी ब्याह, धर्म संस्कृति आदि से लेकर मानव चिंतन का इसी आधार के मुताबिक अपना स्वरूप ग्रहण करती है |

कल्हण कालीन समाज की राजसत्ता के प्रबंध का अध्ययन से पता चल जाएगा कि उस काल में राजसत्ता की संरचना का जो स्वरूप था वह किस तरह के उत्पादन संबंध के आधार पर खड़ा था और उसमें आ रहा बदलाव किस तरह के समाज के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर रहा था |

प्रस्तुत लेख इसी सैद्धांतिक आधार पर लिखा गया एक शोध परक लेख है जो पता लगाता है कि कल्हण कालीन कश्मीर की शासन व्यवस्था के स्वरूप क्या थे, उसके प्रमुख अवयव कौन-कौन से थे तथा उनके निर्माण के लिए कौन सा आधार उन्हें जमीन प्रदान कर रहा था |

मुख्य शब्द : आधार संरचना, उत्पादन संबंध, उत्पादन की शक्तियां, सैद्धांतिक ढांचा, राजसत्ता आदि |

१ समस्या का स्वरूप:

कल्हण कालीन कश्मीर की शासन प्रणाली का साक्ष्य पाया जाता है वह कश्मीर के विकास के क्रम में पैदा हुई मौलिक या वस्तुनिष्ठ स्थितियों का परिणाम था जो एक खास ढंग के उत्पादन संबंधों के परिणाम स्वरुप अस्तित्व ग्रहण किया था और विकसित होते हुए व राजशाही की स्थिति तक आया था| राज तरंगिणी में वर्णित राज्य का स्वरूप राजतंत्र का था| मगर वह राजतंत्र आज के इंग्लैंड के राजतंत्र की तरह नहीं था जिसमें पूंजीवाद और सामंतवाद अपने में एक समझौता के परिणाम स्वरूप राजा या राजतंत्र का एक ढांचा मात्र स्वीकार कर लिया है और सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में है|कश्मीर का राजतंत्र एक भिन्न किस्म का शासन प्रबंध था जो गांव से लेकर शहरों तक फैला हुआ था जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं थी उस राज्य को असभ्य, अव्यवस्थित एवं असंगठित माना जाता था| कश्मीर की शासन प्रणाली में राजा सारी शक्तियों का स्रोत था अन्य पदाधिकारी उसी के आज्ञा के अनुसार अपना काम करते थे, चुनाव का महत्व अपनी जगह पर था|

कश्मीर की शासन प्रणाली कल्हण क़ालीन काल में एक ऐसी सामंतवादी उत्पादन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो संक्रमण काल में थी| भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन जरूर थी मगर एक व्यापारी वर्ग का उदय भी हो चुका था| जमीन का स्वामित्व इसके कुछ भागों का राजा के पास थी| फिर भी भूमि का संकेंद्रण डामरो के हाथों में था जो प्रमुख जमींदार/ जोतदार थे| राजस्व का जरिया भूमि और व्यापार था| डामर एक संगठित भू - स्वामित्वधारी वर्ग था जिसका प्रभाव शासन तंत्र पर भी रहता था वह दर्शाता है कि उत्पादन का साधन का स्वामित्व जिस वर्ग के हाथों में रहता है राजसत्ता उसी के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है कश्मीर में भू-स्वामित्व राजा और डामरो के बीच विभक्त था इस कारण इन दो वर्गों के बीच का अंतर विरोध हमेशा परस्पर के टकरावो में प्रकट होता था| स्थिति तो यहां तक आ गई थी कि राजा को गद्दी पर बैठाने में डामरो की भूमिका इतनी प्रबल हो गई थी कि बिना उनके सहयोग के राजा बनना कठिन हो गया था|

राजा पूरी राज व्यवस्था का मालिक होता था और उसी के अंदर समूची शासन व्यवस्था होती थी| शासन व्यवस्था 5 भागो में बटी थी और प्रत्येक भाग के एक-एक अधिकारी होते थे: वे लोग थे 1.धर्माध्यक्ष 2.धमूपति 3. दूत 4.पूराया और 5.दैवश और इसी नाम से पुकारे जाते थे| राज्य के 18 शासकीय विभाग थे जिनकी मदद से राजा तमाम क्षेत्रों यहां तक कि दूरदराज के इलाकों का भी और छोटे जगहों का भी शासन सुचारू रूप से चलाने में समर्थ थे| एक तरह से कहा जा सकता है कि 18 प्रकार के जो शासकीय विभाग उस काल के कश्मीर में विद्यमान थे वे एक तरह से राजा युधिष्ठिर के शासन प्रबंध की एक तरह के नकल थे क्योंकि युधिष्ठिर के राज्य प्रबंध में भी 18 कर्म स्थान की चर्चा है अगर महाभारत काल को देखा जाए तब पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के समय राज्य छोटे-छोटे कबीलाई राज्यों में विभक्त था और उत्पादन के औजारों में आए विकास को काबिलाई राज्य रोक रहे थे क्योंकि अब विकास के लिए बड़े क्षेत्रीय राज्य की जरूरत थी महाभारत युद्ध का एक कारण इन काबिलाई राज्यों को समाप्त कर बड़े छत्रिय राज्यों का गठन करना था पांच भागों में कश्मीर की शासन व्यवस्था का और 18 अधिकारी की चर्चा है| जलौक के राज्य के पूर्व भाग में 6 अधिकारी और उत्तर भाग में 18 अधिकारी थे| महाभारत के बाद युधिष्ठिर के राज्य में 18 कर्म स्थान की चर्चा की गई है| कश्मीर के ललितादित्य के शासनकाल में भी 18 अधिकारी की चर्चा है इसका मतलब है कि कश्मीर भी कबीलाई स्थिति से बाहर निकल आया था और कृषि के अलावा वाणिज्य आदि के विकास के कारण एक वर्णिक वर्ग का उदय भी कश्मीर में हो चुका था| बड़े क्षेत्रीय राज्य की स्थापना का आधार कृषि और दस्तकारी वाणिज्य के परस्पर सहयोग से हुआ था|

इन संस्थागत/सांगठनिक ढांचे के केंद्र बिंदु में बैठा राजा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और प्रबंध का भी ख्याल रखता था उस काल के पांच विभागों में प्रतीतहार पीड़ा, महासंधि विग्रह, महाश्वशाला, मद्यश्वशाला मद्य साधन आदि थे [1] राजा अपने अमात्यों एवं मंत्रियों की सलाह से ही कार्य कर्ता था| हालांकि कश्मीर में भारत के जैसा वर्णाश्रम प्रथा का विश्वास नहीं हुआ था, फिर भी जातीय वर्चस्व में ब्राह्मण ही ज्यादातर राज्य के बड़े पदों पर आसीन देखे जाते थे| गंभीर विषयों पर चर्चा मंत्री गण राजा के समक्ष ही राज्यसभा में किया करते थे राजा भी उन लोगों से सही निष्कर्ष लेने में सक्षम थे उनकी सभा के संबंध में लिखा गया है: -

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धः|
वृद्धा न ते थे न वदन्ति धर्मम ||

कहा गया है कि वह सभा नहीं जिसमें बुजुर्गों को स्थान नहीं और वह बुजुर्ग नहीं जो राजा को धार्मिक बातों वाली राय या सही सलाह न दे सके राजा के मंत्री जनता के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे बहुत सारी जन संबंधी मसलों पर आम जन भी विचार के लिए बुलाए जाते थे| [2] अधिकारियों की नियुक्ति के समय उनके गुणों को ध्यान में रखकर बहाल किया जाता था| स्वामी भक्ति और विनम्रता को प्रधान गुण माना जाता था| सर्वगुण संपन्न अधिकारी वही माना जाता था जो कुमार्ग गामी राजा को भी सही रास्ते पर ला दे अश्लील कृत्यों को करने वाले को कठोर दंड देने का प्रावधान था, राजा को ही प्राण दंड देने का अधिकार था और वही कठोर दंड को माफ भी कर सकता था| बाहर से लोग भी काम करने आते थे काम करने वाले मर्द और औरत में कोई विशेष फर्क नहीं था| नए अधिकारियों को उनके पुराने कर्मचारी प्रशिक्षण देते थे| अधिकारियों की नियुक्ति में मुहूर्त भी देखा जाता था और अधिकारों के आदान-प्रदान में पुष्प मालाओं का आदान-प्रदान होता था [3] अधिकारी अपने काम में साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी उपायों का उपयोग करते थे| जिस राजा के समय में राजगद्दी के लिए उनके लड़कों में झंझट नहीं था जनता शांतिपूर्ण और सानंद अपना काम करती थी वह राज्य निषकंटक राज्य था चुकी भू राजस्व ही राज्य की प्रधान आमदनी का जरिया था इस कारण राजा अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता था| अवंतिबर्मन और ललितादित्य के राज्य का विस्तार दूर-दूर तक था| [4] आज की तरह ही उस काल में भी विभागों की संकल्पना थी, मगर विभागों का महत्त्व एवं कार्य आज की तुलना में काफी कमजोर था इन विभागों में गृह विभाग, कोष विभाग, शिक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग, शासन विभाग, नगर रक्षा विभाग आदि थे और अधिकारी भी कई तरह के थे| कपनाधिकारी,धर्माधिकारी,कोषाधिकारी, प्रतिधराधिकारी,राजस्थापनाअधिकारी, गजा अधिकारी, सर्वाधिकारी, दंडाधिकारी, लेखा अधिकारी, भिक्षा अधिकारी, गृह कृत्याधिकारी, खेड़ी कार्याधिकारी आदि इन अधिकारियों, विभागों के लिए उचित स्थानों पर बड़ी-बड़ी इमारतें थी फिर भी उस काल के विभागों को आज के विभाग का वैकल्पिक रूप मान लेना गलत होगा, क्योंकि सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में कल्हण कालीन कश्मीर आज की तुलना में काफी पीछे था|

२ अधिकारीगण:

राज्य में विभिन्न विषयों के प्रबंधन के लिए अधिकारीगण हुआ करते थे और आज भी हैं| कल्हण कालीन कश्मीर के प्रशासन तंत्र में जो मुख्य अधिकारी/पदाधिकारी थे वे और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाए तब कहा जा सकता है :--अधिकारी

गणों में सभी विभागों का पथ प्रदर्शक एवं निरीक्षक सर्वाधिकारी होते थे| इस पद पर केवल अमात्यों की ही नियुक्ति होती थी संपूर्ण देश में इसका स्थान सर्वोच्च होता था इसके अधिकार भी असीमित थे, यह जब चाहे तब किसी अधिकारी की बर्खास्तगी कर सकता था| इसका स्थान कुछ मानो में आज के राष्ट्रपति जैसा था| [5]

महासंधि विग्रहिक:

इसका स्थान आज के परराष्ट्रमंत्री से कुछ-कुछ मिलता जूलता है| विदेशों के साथ नीति निर्धारण, युद्ध और मित्रता का प्रश्न विदेशों में राजदूतों की बहाली आदि वह करता था जिसमें संधि विग्रहिक उसका सहायक होता था | [6]

मंत्री एवं अमात्य

राजा का परामर्श दाता, गुप्त संरक्षक एवं शासन के कार्यों में निपुण व्यक्ति को ही मंत्री के पद पर बहाल किए जाते थे बहाली में कार्य निपुणता, दक्षता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था कल्हण के समय मंत्री स्वामी भक्त विचार, प्रतिपादक, निष्ठावान आदि गुणों से संबंध होते थे| मंत्री का पद वंशानुगत भी दिया जाता था मगर अयोग्य होने पर उसे सर्वाधिकारी के द्वारा हटवा दिया जाता था| मंत्रियों द्वारा अपने राजा के लिए तालाब, मंदिर,बिहार, चैत्य आदि का निर्माण कराते थे|

महामंत्री एवं महाअमात्य

मंत्रियों में प्रमुख/ प्रधान महामंत्री या महाअमात्य कहलाता था इसकी स्थिति कुछ-कुछ आज के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलती-जुलती थी| राज्य व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए वह सभी विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति करता था| महाअमात्य धीर वीर, शस्त्र पारंगत होता था| कभी-कभी राजा का अनुभवी मंत्री बहाल होता था और सुयोग्य व्यवहार कुशल होने पर वह प्रधानअमात्य के पद तक चला जाता था| वे अपने नाम को अमर करने के लिए कई तरह के भवनों, नाट्यशालाओ आदि का निर्माण करते थे|

सचिव

उपमंत्री अथवा अवरमंत्री को सचिव भी कहा जाता था| कुल मंत्रियों को भी सचिव कहे जाने की परंपरा थी और कुछ समिति भी सचिव का काम करते थे ऊपर का विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य सत्ता पर अधिकार कश्मीरी अभिजात्य वर्ग का था और वे सत्ता का उपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में किया करते थे| इस प्रकार सत्ता का स्वरूप सावंतवादी सत्ता का था जो अपने को इसी लाइन पर विकसित कर रखा था| [7]

ठाकुर

ठाकुर ग्रामीण एवं लघु शहरी क्षेत्र का अधिकारी था, जिस तरह आज हम लोग मुखिया सरपंच को देखते हैं| ठाकुर इन्हीं लोगों के समकक्ष का एक पदाधिकारी था| ईमानदार ठाकुर मंत्री बन सकता था|

द्वाराधिपति

गांव नगर प्रदेश आदि के प्रवेश द्वारों का प्रबंधन द्वारा द्वाराधिपति हुआ करते थे जिनका प्रमुख नाम था| इस पदाधिकारी के कई नाम थे| मार्गो और उनके द्वारा नगर या गांव में प्रवेश करने की क्रिया बिना उनकी अनुमति के नहीं हो सकता था| मुख्य द्वार पर आने वाले व्यक्ति और शत्रुओं के संबंध में यही राजा को सूचित किया करते थे| पहाड़ों पर या ऊंची जगहों पर निरीक्षण स्थल का निर्माण इन्हीं के आदेश से होता था| यह पद एक कूटनीतिज्ञ का था और इस पर ऐसी चतुर नीतिज्ञ लोग ही बहाल किए जाते थे| यह पद काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का था| [8]

मंडलेश्वर

आजकल राज्यपाल का जो स्थान होता है, वही या उससे मिलता जुलता स्थान मंडलेश्वर का था| सुदूर प्रदेशों की खबर राजा तक पहुंचाना उन खबरों को रखना आदि कार्य मंडलेश्वर ही करता था| मंडलेश्वर की नियुक्ति राजा की व्यवस्थापिका की तरफ से होता था|

नगराधिकारी

नगर की व्यवस्था का अधिकार जिस व्यक्ति पर रहता था उसे नगराधिकारी, नगराधिपति, नगराधिप नगराधिकृत आदि नामों से पुकारा जाता था नगर की व्यवस्था, चोर डाकुओं से रक्षा, नगर वासियों द्वारा टैक्स आदि के रूप में दे पैसों की वसूली और

उस धन का उपयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता था ये खर्चे नगर की साफ-सफाई, शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था आदि का प्रबंध उनके जिम्मे था इस कारण बहाली में इस पद पर योग्य, तीव्र बुद्धि वाले लोगों को ही लिया जाता था| इसकी स्थिति आजकल के पुलिस कोतवाल जैसा था|

कंपनाधीश

यह अधिकारी सैन्य बल का प्रधान अधिकारी को कंपनाधीश, कंपनापति आदि अनेकों नामों से जाना जाता था| इसका प्रमुख काम प्रांतों को बाहरी और भीतरी अशांति से रक्षा करना युद्ध संबंधी सारी जिम्मेदारी को निभाना तथा सेना को तैयार रखना था| चार प्रकार की सेनाएं हाथी, अश्व रथ और पैदल थे कंपनाधीश चारों सेनाओं का प्रधान था इसकी नियुक्ति कुशलदक्ष, वीर, युद्ध, निपुण, आदि गुणों से संपन्न व्यक्तियों में से होती थी और उसका काम भी था देश की रक्षा करना|

दंडनायक

ग्रामीण स्तर से नगर स्तर तक संपूर्ण राज्य का एक नियम था इस ओर राजा के आदेश का उल्लंघन करना देशद्रोह माना जाता था| इसी कारण गांवों में मुखिया, सरपंच या गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फैसला किया जाता था| दंडाधिकारी सभी नगरों में अलग-अलग होते थे| निचले स्तर पर फैसला नहीं होने पर ऊपर के दंड स्थल / न्यायालय में जाया जा सकता था| इसमें न्यायाधीश दयालु स्वभाव के होते थे और कोशिश करते थे कि किसी भी सूरत में निर्दोष को सजा ना मिल सके|

राजास्थानाधिकार भाक

राजस्थानाधिकार भाक राजतरंगिणी में न्यायालय के लिए उपयोग किया गया था| इसी के अधिकारी को स्थानाधिकार भाक कहा जाता है| ये दो प्रकार के होते थे एक प्रांत के बाहर के क्रिया कलाप दंडित करने का अधिकार रखने वाला और दूसरा, देश के अंत: भाग के लिए दंड देने का अधिकारी इसे क्रमश: वाह्य राजस्थानाधिकार भाक और अंत: राजस्थानाअधिकार भाक के नाम से जाना जाता था| वादी और प्रतिवादी दोनों की बातों को सुनकर फैसला दिए जाने के कारण न्याय निष्पक्ष हुआ करता था|

धनाध्यक्ष

धनस्थान के अधिकारी को धनाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष कहा जाता था| दैनिक व्यापार के लिए कर्मचारियों आदि के वेतन तनख्वाह के लिए तथा अन्य सरकारी खर्च के लिए धन की निकासी यहीं से होती थी| इस पद पर कुशल ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी

गजाधिपति

गजाधिपति राजकोष का सबसे बड़ा अधिकारी होता था| राजकोष दो तरह के थे, एक सामान्य स्तर का जिसे धनास्थान कहा जाता था और उसके अध्यक्ष धानाध्यक्ष होते थे| दूसरा कोष बड़े यानी राज्य स्तर का होता था जिसका प्रधान गजाधिकारी या गजाध्यक्ष आदि अनेकों नामों से जाना जाता था |

राजकोष में धन भरा रहता था और इसके अलावा सोना चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों को इकट्ठा करके इस कोष में स्थाई कोष के नाम पर रखे रहते थे | इस कोष से सामान्य और युद्ध कालीन खर्चों के लिए धन निर्गत किया जाता था |

सामंत

कल्हण कालीन कश्मीर राज्य के चरित्र का आकलन इससे किया जा सकता है कि उस काल के राज्य बड़े क्षेत्रीय राज्य का स्वरूप ले चुके थे, क्योंकि कश्मीरी सेना राज सुव्यवस्था के लिए जगह-जगह सामंतों की बहाली करते थे, जो राजस्व वसूली करने उसे राजा को भेजने आदि के काम के अलावा युद्ध काल में राजा को सैनिक, सैनिक साजो सामान आदि की आपूर्ति करने और राजधानी तथा दूर के देशों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करना इनका काम था|

इन ऊपर वर्णित राज्य कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों में प्रतिहार जो दरबार में रहता था और दरबार में राजा से मिलने वालों राज दरबार में विधि व्यवस्था का संचालन राजा की सुरक्षा आदि का दायित्व इसी का था| धर्माअध्यक्ष की नियुक्ति राजा द्वारा धार्मिक कार्यों में सलाह लेने के लिए होती थी| धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अधिकार और पठन-पाठन का काम इनकी दिनचर्या थी| इसके अलावा गन्ना पति थे जिनके पास देश की धन संपदा का लेखा-जोखा उन्हीं के पास रहता था| सालाना लेखा-

जोखा घाटा मुनाफा का व्यवरा गणनापति ही करता था इसके बाद प्रांतों का हिसाब किताब लेखा अधिकारी के पास आय व्यय की वही में लिखा रहता था| सेवक का काम अपने मालिक की सेवा करना था| इसके अलावा गृहकृयाधिकारी का पद यात्रा राजा के घर घरेलू कार्यों को करता था| इन कामों में राजा को पान पहुंचाने वालों को तांबूल दायक सड़कों पर पुल आदि बनाने वाले को सेतुपाल नाम दिया गया था| 2 कर्मचारी अर्थ नायक और देव नायक थे| इनमें राज दरबार के घरेलू खर्च के लिए नियुक्त व्यक्ति अर्थ नायक और मूर्ति मंदिर आदि की सुरक्षा निर्माण आदि की जिम्मेदारी वाला व्यक्ति देव नायक कहलाता था

३ निष्कर्ष:

ऊपर के विवरण कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को सामने लाते हैं जो कल्हण कालीन कश्मीर के शासन व्यवस्था की चारित्रिक विशेषताओं को बताते हैं| इसमें पहली बात है कि कल्हण कालीन कश्मीर अपने इतिहास के विकास क्रम में छोटे-छोटे राज्यों की स्थिति (Clan) से आगे निकलकर बड़े भूभागी राज्य के स्वरूप ग्रहण कर लिया था| इसका मतलब था कि उत्पादन की शक्तियों में जो विकास हो रहा था उसका परिणाम श्रम के सामाजिक विभाजन को तोड़कर संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा को मजबूती प्रदान कर रही थी और डामर जो ज्यादातर जमीनों के मालिक थे वे राजसत्ता पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के संघर्ष को तेज करते जा रहे थे| इसके साथ-साथ तकनीकी विकास का एक परिणाम वर्णिक वर्ग के उदय में दिख रहा था जो अब अपनी जीविका व्यापार आदि के द्वारा ही चलाने लगे थे| व्यापार में वर्णिक पूंजी को जन्म दिया और कश्मीरी समाज विकास की एक नई मंजिल तक गया| इस नई मंजिल में राजसत्ता के लाभ को उठाने के लिए विभिन्न तरह के संयंत्रों का जन्म हुआ जो राजमहल के अंदर भी होने लगा था| अब पहले की तुलना में वर्गीय विभाजन स्पष्ट दिखने लगा था| शिक्षा समाज के संपन्न लोगों के पास थी और सरकारी पदों पर ज्यादातर ब्राह्मण कायस्थ आदि जातियों ही आई| इस तरह के वर्गीय विभाजन के कारण कश्मीरी समाज दो अस्पष्ट वर्गों में बांटा दिखता है जो साहित्य कला संस्कृति से लेकर राज्य सत्ता से संबंध तक दिख जाता है|

कश्मीरी कला सभ्यता और संस्कृति का केंद्र देव मंदिर थे| जहां कुलीन वर्गों का सभ्यता - संस्कृति का केंद्र था| गरीब लोगों की संस्कृति का केंद्र मुक्ता काश था| मंदिरों की संस्कृति में उच्च कोटि के वाद्य यंत्रों का प्रयोग था| गरीबों की कला संस्कृति में सामान्य ढंग के ग्रामीण वाद्य यंत्र थे| मंदिरों में देवदासियाँ कला प्रदर्शन की नायिकाएं थी और मंदिर राजाओं की भोग लिप्सा के केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए इस प्रकार प्रगति का स्वरूप एक ऐसी सोसाइटी के जन्म के रूप में सामने आया जिसमें मुद्रा का वर्चस्व सारे मानदंडों को पीछे छोड़ अपने को सबके ऊपर स्थापित कर दिया था और आज कश्मीरी समाज सारे पूंजीवादी दुर्गुणों से ग्रस्त एक राज्य के रूप में सामने है|

संदर्भ:

1. राजतरंगिणी, 3, - 328, 19, 20/ 3 - 328; 6 - 2 - 147, 61, 81.
2. उपरोद्धत, 3 - 148, 8 - 3213, 1547, 4 - 67, 3 - 158, 2 - 132.
3. उपरोद्धत, 7 -1416, 1356, 77, 78, 4 - 67, 3 - 158, 2 - 132.
4. उपरोद्धत, 8 - 2510, 1364, 1037, 2148,2 - 72, 5 - 351, 250, 64.
5. उपरोद्धत, 6 - 199, 7 - 568 - 364894, 8 - 1850.
6. उपरोद्धत, 6 - 320, 110, 8 - 2427, 4 - 504, 711, 5 - 412.
7. उपरोद्धत, 2- 67, 3 - 233, 5 - 354, 8, 3001, 3212.
8. उपरोद्धत, 6 - 73, 8 - 1814, 7 - 996, 1227, 1375, 2 - 106.